

बिहार राज्य वदियालय अध्यापक (नयुक्त, स्थानांतरण, अनुशासनकि कार्यावाही एवं सेवा शर्त) नयिमावली 2023

चर्चा में क्यों?

10 अप्रैल, 2023 को बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य वदियालय अध्यापक (नयुक्त, स्थानांतरण, अनुशासनकि कार्यावाही एवं सेवा शर्त) नयिमावली 2023 को स्वीकृति दी। इसके साथ ही पुराने दररे पर नयुक्तियों कर रही इकाइयाँ भंग कर दी गई हैं।

प्रमुख बदि

- बिहार राज्य सरकार ने शकिषक नयुक्तकी नई नयिमावली को मंजूरी दे दी है। सातवें फेज की होने वाली नयुक्तियों से यह नयिमावली प्रभावी होगी। अब शकिषक राज्य कर्मी कहलाएंगे।
- नई नयिमावली के तहत **CTET** और **STET** पास अभ्यर्थियों को सीधे शकिषक बनने का मौका मल्लिगा और वह राज्यकर्मी बन जाएंगे। नयिोजति शकिषकों को राज्य कर्मी बनने के लयि प्रतयिोगति परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
- नयिोजति शकिषकों को उमर सीमा में छूट मल्लिगी। राज्य सरकार ने शकिषक बहाली के लयि न्यूनतम उमर 21 वर्ष कर दी है। अब आयोजन के जरयि शकिषकों की बहाली की जाएगी।
- इसके अलावा मंत्रिमंडल ने महँगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर भी मुहर लगा दी है। राज्यकर्मियों का महँगाई भत्ता 4 प्रतशित बढ़ाकर 38% से 42% कर दयिा गया है। यह 1 जनवरी, 2023 से लागू हो जाएगा। एक जनवरी 2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता (DA) का लाभ मल्लिगा। राज्य के कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मल्लिगा।
- बिहार कैबिनेट ने बिहार आकस्मकिता नधि को 300 करोड़ से बढ़ाकर इस वत्तीय वर्ष के लयि 10 हज़ार करोड़ रुपए अस्थायी रूप से करने की स्वीकृति भी दी है।